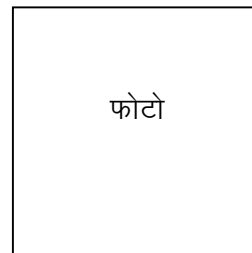


पेंशन के लिये आवेदन प्रपत्र – 1
(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे) कृपया जहां लागू हो(✓) का निशान लगाएँ

☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

☐	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
☐	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
☐	बिहार निःशक्तता पेंशन



1. आवेदक का नाम :-
2. पिता []/पति [] का नाम :-
3. लिंग:- पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
4. पूरा पता:- ग्राम/मुहल्ला :-
 पंचायत/नगर वार्ड नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत
 थाना:- प्रखंड :- अनुमंडल:-
 जिला :- डाकघर:- पिन कोड:-
5. कोटि :- अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति.पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य
6. आधार संख्या:-..... निर्वाचन परिचय पत्र संख्या:-.....
7. एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या:-.....
8. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल न0 :- ई-मेल.....
9. आवेदक का पहचान चिन्ह
10. बैंक का विवरण (अनिवार्य)-
 (क) आई0 एफ0 एस0 सी0 [IFSC] कोड..... (ख) शाखा कोड.....
 (ग) शाखा का नाम (घ) बैंक खाता संख्या.....
11. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना
 (क) आयु :- (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
 (ग) आय - 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक प्राप्तांक
 2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :-
 (घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-
12. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि -
 (i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
 (ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
 (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
 (iv) मैं (नाम) जिला बिहार राज्य का/की निवासी/
 अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई व्योरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

स्थान :-
तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

पंचायत सचिव/पंचायत स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मी की अनुशंसा

1. आय/बी0पी0एल0 – बी0पी0एल0 क्रमांक/आय प्रमाण-पत्र/ लागू नहीं।
2. आयु प्रमाण-पत्र – विद्यालय का प्रमाण-पत्र/निर्वाचन परिचय पत्र/अन्य सरकारी अभिलेख/लागू नहीं।
3. विकलांगता – 40 प्रतिशत/80 प्रतिशत/लागू नहीं
4. आवासीय प्रमाण-पत्र – 3 वर्ष/10वर्ष/लागू नहीं।

(जो लागू हो उसे ✓ से चिह्नित करें)

नाम

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा/स्वीकृति की जाती है।

..... कारण
से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है।

आवेदन की प्रविष्टि आनलाईन सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है/ कर दी गई है तथा इसका संदर्भ संख्या
दिनांक है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती

को दिनांक से पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

अर्हताएँ :-

क्र०	योजना का नाम	आय	आयु	विकलांगता	निवासी/अधिवासी
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	लागू नहीं	60 या उससे अधिक	—	10 वर्ष
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	अधिकतम 60,000 /— वार्षिक	18 वर्ष से अधिक	—	10 वर्ष
3	बिहार निःशक्तता पेंशन	आय सीमा नहीं	उम्र सीमा नहीं	40% से अन्यून	10 वर्ष
4	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	बी0पी0एल0	60 वर्ष या उससे अधिक	—	3 वर्ष
5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	बी0पी0एल0	40-79 आयु वर्ग	—	3 वर्ष
6	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	बी0पी0एल0	18-79 आयु वर्ग	80% से अन्यून	3 वर्ष

नोट:- आयु प्रमाण-पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण-पत्र/निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख जिसमें उम्र/जन्म तिथि दर्ज हो, मान्य होंगे। इनके अनुपलब्ध रहने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का उम्र के संबंध में भौतिक सत्यापन मान्य होगा।

पेंशन के लिये आवेदन प्रपत्र – 1
(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे) कृपया जहां लागू हो(✓) का निशान लगाएँ

☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
☐	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

☐	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
☐	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
☐	बिहार निःशक्तता पेंशन

फोटो

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता []/पति [] का नाम :-
3. लिंग:- पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
4. पूरा पता:- ग्राम/मुहल्ला :-
पंचायत/नगर वार्ड नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत
थाना:- प्रखंड :- अनुमंडल:-
जिला :- डाकघर:- पिन कोड:-
5. कोटि :- अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति.पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य
6. आधार संख्या:-..... निर्वाचन परिचय पत्र संख्या:-.....
7. एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या:-.....
8. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल न0 :- ई-मेल.....
9. आवेदक का पहचान चिन्ह
10. बैंक का विवरण (अनिवार्य)-
(क) आई0 एफ0 एस0 सी0 [IFSC] कोड..... (ख) शाखा कोड.....
(ग) शाखा का नाम (घ) बैंक खाता संख्या.....
11. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना
(क) आयु :- (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
(ग) आय - 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक प्राप्तांक
2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :-
(घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत :-
12. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि -
(i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
(ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
(iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
(iv) मैं (नाम) जिला बिहार राज्य का/की निवासी/
अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई व्योरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

स्थान :-
तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

पंचायत सचिव/पंचायत स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मी की अनुशंसा

1. आय/बीपीएल0 – बीपीएल0 क्रमांक/आय प्रमाण-पत्र/ लागू नहीं।
2. आयु प्रमाण-पत्र – विद्यालय का प्रमाण-पत्र/निर्वाचन परिचय पत्र/अन्य सरकारी अभिलेख/लागू नहीं।
3. विकलांगता – 40 प्रतिशत/80 प्रतिशत/लागू नहीं
4. आवासीय प्रमाण-पत्र – 3 वर्ष/10वर्ष/लागू नहीं।

(जो लागू हो उसे ✓ से चिह्नित करें)

नाम

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा/स्वीकृति की जाती है।

..... कारण
से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है।

आवेदन की प्रविष्टि आनलाईन सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है/ कर दी गई है तथा इसका संदर्भ संख्या
दिनांक है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती

को दिनांक से पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

अर्हताएँ :-

क्र०	योजना का नाम	आय	आयु	विकलांगता	निवासी/अधिवासी
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	लागू नहीं	60 या उससे अधिक	—	10 वर्ष
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	अधिकतम 60,000 /— वार्षिक	18 वर्ष से अधिक	—	10 वर्ष
3	बिहार निःशक्तता पेंशन	आय सीमा नहीं	उम्र सीमा नहीं	40% से अन्यून	10 वर्ष
4	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	बीपीएल0	60 वर्ष या उससे अधिक	—	3 वर्ष
5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	बीपीएल0	40-79 आयु वर्ग	—	3 वर्ष
6	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	बीपीएल0	18-79 आयु वर्ग	80% से अन्यून	3 वर्ष

नोट:- आयु प्रमाण-पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण-पत्र/निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख जिसमें उम्र/जन्म तिथि दर्ज हो, मान्य होंगे। इनके अनुपलब्ध रहने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का उम्र के संबंध में भौतिक सत्यापन मान्य होगा।

सहमति पत्र – I

मैं श्री/श्रीमती (नाम)

आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या

का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं।

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि :

नाम :

पूरा पता :

.....

पहचानकर्ता :-

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पूरा पता :-

.....

सहमति पत्र – II

बैंक

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

..... बैंक (बैंक का नाम)

शाखा

तिथि :-

विषय : मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या को आधार संख्या (UIDAI Number) से जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

मैं आपके बैंक में (शाखा का नाम) बैंक खाता संख्या का धारक हूँ। मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता हूँ, एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता/देती हूँ कि :-

- यू०आई०डी०ए०आई०, भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू०आई०डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित उपर्युक्त खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय।
- इसे एन०पी०सी०आई० (National Payments Corporation of India) में दर्ज किया जाय, ताकि भारत सरकार द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण' (डी०बी०टी०) योजना के तहत लाभ मेरे उक्त खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता/समझती हूँ कि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हों तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूँगा/चाहूँगी।
- यू०आई०डी०ए०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाय।
- मेरे निम्न अंकित मोबाईल संख्या को एस०एम०एस० अलर्ट हेतु उपयोग में लायी जाय।

आधार के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है :-

आधार/ई०आई०डी० नं० :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आधार ग्राही का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) :

मैं समझता/समझती हूँ कि आधार संख्या के बार में मेरे द्वारा उपर्युक्त सूचना इसके साथ उलब्ध करायी गयी है, उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

(खाताधारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

नाम :

मोबाईल नं० :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ई-मेल :

अनुलग्नक – आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

_____ बैंक प्रयोग के लिए _____

आधार संख्या को बैंक खाता से जोड़ने की सम्पुष्टि :-

श्री/श्रीमती का (बैंक), शाखा, में संधारित खाता संख्या को आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या से जोड़ दिया गया है।

तिथि : -

(बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी)